

प्रधान जिला न्यायाधीश, बक्सर

इजराय वाद संख्या 27 / 2019

सीआईएस संख्या 27 / 2019

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेंस कम्पनी लि० बनाम् सुनील कुमार सिंह

दिनांक 17.04.2026 :-

डिक्रीदार अनुपस्थित है। उनके तरफ से कोई पैरवी नहीं की गई है।

वाद पुकार किया गया। वाद बार-बार पुकार किये जाने के बावजूद भी न तो डिक्रीदार उपस्थित हुआ और न ही उसकी तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता ही उपस्थित हुए।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विगत कई तिथियों से लगातार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी न तो डिक्रीदार और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता सुनवाई हेतु उपस्थित हो रहे हैं। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में डिक्रीदार को सुनवाई हेतु दिनांक 08.04.2026 को अंतिम अवसर दिया गया था। बावजूद आज डिक्रीदार पक्ष की तरफ से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

प्रस्तुत वाद सन् 2019 का वाद है तथा इसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इजराय वाद के निष्पादन हेतु **Periyammal (Dead Thr.Lrs) Vs Rajamani and Anr Etc. In Civil Appeal No. 3640-42/2025** में यह प्रतिपादित किया गया के निष्पादन वाद की कार्रवाई 6 माह में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत इजराय वाद को लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप प्रस्तुत वाद को **खारिज** किया जाता है।

कार्यालय नियमानुकूल अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित
ह० / -
प्रधान जिला न्यायाधीश
बक्सर
दिनांक 17.04.2026